डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

जलास :- श्री रवि प्रकाश , आर०ए०एस०

-: वादी :- **बनाम** **-: प्रतिवादीगण :-**

हनुमानराम पुत्र नाथूराम
जाति-अचारज निवासी- बांडकी गेर
बलून्दा तहसील-जैतारण
जिला-ब्यावर।

1. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी
राजस्थान सरकार, तहसील- जैतारण,
जिला- ब्यावर, राज0।

स्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती
तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
धिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 26/2024
निर्णय व डिक्री दिनाँक : 05/03/2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री मलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण तिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, 36, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार या जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का बलुन्दा, तहसील जैतारण, ला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 1749 रकबा 0.1862 हैक्टयर किस्म बारानी व्वल, खसरा नम्बर 1801 रकबा 1.4245 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1803 कबा 0.1781 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज '' **ओमा पुत्र थू** '' के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त राजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि'' **हनुमान राम पुत्र थूराम**'' दर्ज करते हुए वादी को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से क कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **05/03/2025** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	-	फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर	02-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	Nil

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।